

प्रपत्र-44

परियोजना का नाम:- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का
विस्तारीकरण कार्य

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0
पिलरोंद्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का
भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु0 में)	घनराशि (रु0 में)
			ल0	चौ0	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	45	0.45	0.30	0.60	3.645	m 3	140.00 (1-2-3-1)	510.30
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	45	0.45	0.30	—	45	नग	30.00 (2-3-7)	1350.00
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	45	$\frac{(0.40+0.23)}{2}$	0.20	1.70	4.819	m 3	4520.60 (1-5-1-3)	21784.77
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कट करना		4.819 X 78.5X 1%			3.782	कु0	4857.00 (Sr. no.97)	18369.17
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	45 X 2 45 X 2	$\frac{(0.40+ 0.23)}{2}$ 0.20	—	1.70 1.70	48.19 30.60 78.79	m 3	125.50 (1-13-1-1)	9888.14
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	45	—	—	—	45	नग	100.00	4500.00
7	पानी की ढुलाई आदि	45	—	—	—	45	नग	L.S.	9000.00
	कुल योग								65402.38
								या	65400.00

(रुपये पैसठ हजार चार सौ मात्र)

वन क्षेत्राधिकारी
हल्द्वानी वन क्षेत्र
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी

2.41

परियोजना का नाम:- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का
विस्तारीकरण कार्य

आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन किया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी
सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का
विस्तारीकरण कार्य

आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन किये जाने में होने वाले व्यय का वहन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी

हल्द्वानी वन क्षेत्र

राज्य केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

वन प्रभारी वन अधिकारी

हल्द्वानी

राज्य केन्द्रीय वन प्रभाग

हल्द्वानी